राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–5192266, 2700447 E-mail: modelschoolest.rcse@gmail.com

क्रमांक : रामाशिप/जय/ संस्थापन/मॉडल स्कूल नियम/ 4446 दिनांक : 17-6-2016

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि .),
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,–अजमेर, बांसवाड़ा, अलवर, बांरा, बाड़मेर, भीलवाडा, बून्दी, दौसा, डूंगरपुर, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर,झालावाड़, जोधपुर, करौली, नागौर, राजसमन्द, स. माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, जयपुर, पाली, बीकानेर, चित्तौडगढ, प्रतापगढ, धौलपुर।

विषय :– स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के नियमों की अधिसूचना के संबन्ध में।

शासन उप सचिव, शिक्षा ग्रुप प्रथम, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्रांक 4(15) शिक्षा–1/2015–16 दिनांक 14.6.2016 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् (RCSE) नियम एवं विनियम, 2009 के नियम 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की कार्यकारी समिति परिषद् द्वारा संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल (SVGMS) में प्रधानाचार्यो एवं अन्य शैक्षणिक कार्मिक की नियुक्ति हेतु विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तो के लिए प्रकिया अधिकथित करते हुए नियम बनाये गये हैं। इन नियमों का नाम "राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में (प्रधानाचार्यो एवं अन्य शैक्षणिक कार्मिकों) की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की शर्ते नियम, 2016" होगा।

अतः आपको उक्त नियमों की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति भेजकर लेख है कि नियमों की अनुसूची–2 के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(जस्सा राम चौधरी)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सहायक, निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
2. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
3. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, अजमेर, बांसवाड़ा, अलवर, बांरा, बाड़मेर, भीलवाडा, बून्दी, दौसा,डूंगरपुर, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर,झालावाड़, जोधपुर, करौली, नागौर, राजसमन्द, स. माधोपुर, सिरोही, टोंक,उदयपुर, जयपुर, पाली, बीकानेर, चित्तौडगढ, प्रतापगढ, धौलपुर को पत्र प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
4. नियंत्रक वित्त, रामाशिप, जयपुर।
5. कार्यालय प्रति।

17/6/16

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक 4(15) शिक्षा–1 / 2015–16 जयपुर, दिनांक 14-06-2016

अधिसूचना

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् (RCSE) नियम एवं विनियम, 2009 के नियम 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की कार्यकारी समिति, परिषद् द्वारा संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल (SVGMS) में प्रधानाचार्यों एवं अन्य शैक्षणिक कार्मिक की नियुक्ति हेतु विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तों के लिए प्रक्रिया अधिकथित करते हुए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:–**

(1) इन नियमों का नाम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में (प्रधानाचार्यों एवं अन्य शैक्षणिक कार्मिकों) की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की शर्तें नियम, 2016 होगा।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं:–**

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से राज्य मिशन निदेशक, या ऐसा अन्य अधिकारी अभिप्रेत है जिसे परिषद् द्वारा किसी शर्त सहित या उसके बिना शक्ति प्रत्यायोजित की जायेगी।

(ख) 'समिति' से नियम 9 में निर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है,

(ग) 'केन्द्रीय सरकार' से भारत सरकार अभिप्रेत है,

(घ) 'राज्य सरकार' से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है,

(ङ) 'राज्य' से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है,

(च) 'राज्य मिशन निदेशक' से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के आयुक्त से अभिप्रेत है,

(छ) 'अनुसूची' से इन नियमों के संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है, और

(ज) 'शैक्षणिक कार्मिक' से अनुसूची–1 में यथा विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्त कार्मिक से अभिप्रेत है।

(झ) 'वर्ष' से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है

3. **निर्वचन.–**

जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 8) इन नियमों के निर्वचन हेतु उसी प्रकार लागू होगा जैसे यह किसी अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

4. **पदों की संरचना, प्रकृति और संख्या.–**

(1) अनुसूची–1 में यथा विनिर्दिष्ट अवधि आधार पर धारित किये जाने वाले पदों के दो प्रवर्ग होंगे।

(2) प्रत्येक प्रवर्ग के पदों की संख्या इतनी होगी जो परिषद् द्वारा समय–समय पर स्वीकृत की जायेगी।

परन्तु परिषद् किसी व्यक्ति को किसी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना कोई पद बिना भरे या प्रास्थगित रख सकेगी या समाप्त कर सकेगी।

5. **रिक्तियों का अवधारण.–**

नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रेल से पूर्व, यथाशक्यशीघ्र आगामी बारह मास के दौरान या जब कभी भी ऐसी कोई आकस्मिकता उद्भूत हो, प्रत्येक प्रवर्ग में भरी जाने वाली प्रत्याशित रिक्तियों की जिलेवार संख्या अवधारित करेगा।

6. **सेवावधि.–**

(1) अनुसूची–1 में प्रगणित पद किसी अधिकारी द्वारा साधारणतया चार वर्ष से अनधिक की सेवावधि के लिए धारित किये जायेंगे जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक बार में एक वर्ष से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी किन्तु कुल सेवावधि किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) अनुसूची–1 में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्तियां प्रथम बार मूल विभाग/सेवा से प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी स्थानान्तरण पर नियुक्ति तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए होगी जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपदर्शित कालावधि के लिए समय–समय पर शर्त के अध्यधीन बढ़ाई जा सकेगी। ऐसी वृद्धि उसके मूल विभाग/सेवा की शर्तों के अनुसार उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पूर्व तिथि से आगे की नहीं होगी। इस प्रकार नियुक्त कार्मिक को प्रथम एक वर्ष की सेवावधि की समाप्ति से पूर्व मूल संवर्ग के लिए प्रतिवर्तित नहीं किया जायेगा या किसी अन्य पद पर जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। तथापि राज्य मिशन निदेशक के पास इन नियमों के अधीन इस प्रकार नियुक्ति किसी अधिकारी को ऐसी सेवावधि/कालावधि की समाप्ति से पूर्व, मूल विभाग की सहमति से, कोई कारण समनुदेशित किये बिना वापस प्रतिवर्तित करने का अधिकार रक्षित रहेगा।

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक को सेवानिवृति में एक वर्ष से अनधिक समय रहने पर मूल विभाग में परिवर्तित किया जायेगा।

(3) मूल विभाग को प्रतिवर्तन/स्थानान्तरण की दशा में इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में उसके द्वारा धारित पद का ग्रेड वतन या प्रास्थिति को संरक्षित करने का तब तक अधिकार नहीं होगा जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित न हो:

परन्तु कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने मूल विभाग/सेवा की सेवा शर्तों के अनुसार त्याग पत्र दे सकेगा या सेवानिवृत्ति चाह सकेगा जो उसे राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन साधारणतया अनुज्ञेय से भिन्न कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा:

परन्तु यह और कि ज्योंही व्यक्ति मूल संवर्ग में उच्चतर वेतनमान वाले पद पर पदोन्नत किया जाता है त्योंही वह वापस मूल विभाग में प्रतिवर्तित हो जायेगा।

7. **चयन का स्रोत.–**

इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् अनुसूची–1 के स्तम्भ 2 में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन, अनुसूची–1 के स्तम्भ 3 से 5 में उल्लिखित ऐसे व्यक्तियों में से, जो ऐसे पद पर धारणाधिकार रखते हों या राज्य सरकार के मूल विभाग के अधीन पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किये गये हों, समिति की सिफारिश पर किया जायेगा।

8. **चयन के लिए पात्रता.–**

केवल ऐसे व्यक्ति विभिन्न पदों के लिए विचारण हेतु पात्र होंगे जो माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिक हैं एवं उस वर्ष की प्रथम जनवरी को, जिसमें उन पर विचार किया जाता है, अनुसूची–1 में अधिकथित शर्तें पूरी करते हों।

9. **चयन समिति.–**

अनुसूची–1 में प्रगणित पदों पर चयन निम्नलिखित से गठित समिति की सिफारिश पर किया जायेगा, अर्थात्:–

(i)	शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग	अध्यक्ष
(ii)	राज्य मिशन निदेशक, परिषद	सदस्य
(iii)	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्रख्यात शिक्षाविद्	सदस्य
(iv)	रामाशिप द्वारा मनोनीत विषयविशेषज्ञ	सदस्य
(v)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
(vi)	प्रतिनिधि, SIERT उदयपुर का प्रतिनिधि	सदस्य
(vii)	अतिरिक्त आयुक्त, रामाशिप, जयपुर	सदस्य सचिव

10. **चयन की कसौटी.–**

समिति द्वारा चयन व्यक्तित्व, चरित्र, सेवा के पूर्व अभिलेख और संबंधित सेवाओं में विगत अनुभव या चयन की अन्य किसी कसौटी, जिसे समिति आवश्यक समझे, के संबंध में साक्षात्कार के पश्चात् किया जायेगा।

11. **चयन की प्रकिया.–**

(1) ज्योंही यह विनिश्चित हो जाता है कि अनुसूची–1 के स्तम्भ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों में से, अनुसूची–1 के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट रिक्त पदों की कतिपय संख्या को भरने के लिए चयन किया जाना है, त्योंही राज्य मिशन निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद या ऐसा अन्य अधिकारी जिसे वह इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट करें किसी विनिर्दिष्ट तारीख तक समस्त पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए पत्र भेजेगा एवं रिक्तियों को ऐसी रीति से, जैसा कि वह उचित समझे, विज्ञापित करेगा:

(2) आवेदन–

(अ)–

(i) पात्र व्यक्तियों द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से आवेदन किया जावेगा।

(ii) रिक्तियों का निर्धारण जिलेवार किया जावेगा तथा आशार्थी अधिकतम दो जिले के लिए आवेदन कर सकेंगे।

(iii) आशार्थी जिले के समस्त रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु वरीयता क्रम में विकल्प कर सकेंगे।

(ब)–

इन नियमों के प्रारम्भ के समय इन पदों पर कार्य करने वाले समस्त ऐसे व्यक्ति अनुसूची–1 के स्तम्भ 2 में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे पदों के लिए आवेदन किये हुए एवं चयनित समझे जायेंगे और उनके द्वारा धारित पदों के लिए प्रथम नियुक्ति से दो वर्ष की अवधि के लिए कार्यरत रहेंगे। दो वर्ष पश्चात् उपयुक्त नहीं पाये गये व्यक्ति उनके मूल विभागों को वापस प्रतिवर्तित किये जा सकेंगे।

(3) इस प्रकार प्राप्त आवेदनों की संविक्षा के पश्चात् आवेदन करने वाले व्यक्तियों के संबंध में संबंधित विभाग से लम्बित विभागीय जांच/अभियोजन की रिपोर्ट अन्य सेवाभिलेख या कोई ऐसी सूचना, जो वह उचित समझे, प्राप्त की जा सकेगी।

(4) उपर्युक्त उप–नियम (3) के अधीन वांछित रिपोर्ट के प्राप्त होने पर राज्य मिशन निदेशक या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी समस्त पात्र अभ्यार्थियों की जिलेवार सूची तैयार करेगा।

(5) चयन समिति उप–नियम (4) के अधीन तैयार सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। आशार्थी का चयन साक्षात्कार से प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार वरीयता सूची के अनुसार होगा। भरी जाने वाली संभावित रिक्तियों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का उनकी योग्यता के क्रम में चयन करेगी और उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों के नामों से युक्त सूची तैयार करेगी:

परन्तु चयन समिति, यदि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध हों, तो और अभ्यर्थियों जिनकी संख्या अवधारित रिक्तियों की शत–प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, को आरक्षित सूची में रखेगी। ऐसे अभ्यर्थियों के नामों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा यदि चयन की तारीख से छह माह के भीतर–भीतर ऐसी रिक्तियां वास्तविक रूप से हुई हों।

(6) उपर्युक्त उप–नियम (5) के अधीन चयन समिति द्वारा तैयार की गई सूची नियुक्ति प्राधिकारी को सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के और उनके भी जो चयनित नहीं किये गये हों, यदि कोई हों, के सेवाभिलेख, यदि कोई हो, के साथ भेजी जायेगी।

12. **नियुक्ति.–**

अनुसूची–1 के स्तम्भ 2 में यथानिर्दिष्ट पद पर नियुक्ति नियम 11 के उप–नियम (5) के अधीन तैयार की गई सूची में सम्मिलित व्यक्तियों में से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा योग्यता क्रम में की जायेगी एवं पदस्थापन चयनित अभ्यर्थियों का आवेदित जिले में वरीयता सूची में स्थान तथा दिये गए विकल्प के आधार पर होगा।

13. **वेतन एवं अन्य शर्तें.–**

(1) अनुसूची–1 के स्तम्भ 2 में यथाविनिर्दिष्ट पद पर अनुज्ञेय वेतनमान और प्रारम्भिक वेतन तथा मूल संवर्ग में पदोन्नति पर वेतन में वृद्धि से सम्बन्धित अन्य शर्तें एवं सेवानिवृत्ति परिलाभ अनुसूची–2 में अधिकथित किये गये अनुसार होंगे और ऐसे होंगे जो राज्य सरकार की सहमति से परिषद् द्वारा समय–समय पर मंजूर किये जायें।

(2) इन नियमों में यथा उपबन्धित के सिवाय अनुसूची–1 के स्तम्भ 2 में यथाविर्निष्ट पद के लिए अन्य सेवा शर्तें भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू और तत्समय प्रवृत्त अन्य नियमों द्वारा विनियमित होंगे।

14. **असाधारण रूप से योग्य व्यक्तियों का प्रवेश.–**

इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समिति किसी नियमित रूप से चयनित केन्द्रीय/राज्य सरकार के सदस्यों का, आरएससीई में, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, असाधारण रूप से योग्य मामलों में नियुक्ति के लिए प्रवेश प्रस्तावित कर सकेगी।

15. **शंकाओं का निराकरण.–**

यदि इन नियमों के लागू होने, निर्वचन और इनके विस्तार के बारे में कोई शका उत्पन्न हो तो इसे परिषद् की कार्यकारी समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

16. **निरसन और व्यावृत्ति.–**

इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले और इन नियमों के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त मामलों से संबंधित समस्त नियम और आदेश इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार अतिष्ठित नियमों और आदेशों के अधीन की गई कोई भी कार्यवाही इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

यह अधिसूचना वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101601989 दिनांक 16.05.2016 की प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से,

नाहर सिंह 14/06/2016

(नाहर सिंह)
शासन उप सचिव, प्रथम

अनुसूची–1

(परिषद् के अधीन पदों पर भर्ती की पात्रता)

प्रवर्ग–1

क्र. स.	पद का नाम	शैक्षिक योग्यता		पात्रता एवं अनुभव	अधिकतम आयु
		कक्षा	न्यूनतम प्राप्तांक		
1	2	3	4	5	6
1.	प्रधानाचार्य	माध्यमिक, उच्च माध्यमिक	60 प्रतिशत	प्रधानाध्यापक / व्याख्याता के पद पर 3 वर्ष का अनुभव। **अथवा** वर्तमान में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत	45 वर्ष
		स्नातक, अधिस्नातक	55 प्रतिशत		
		बी.एड.	55 प्रतिशत		
2.	व्याख्याता	माध्यमिक, उच्च माध्यमिक	60 प्रतिशत	द्वितीय श्रेणी शिक्षक के पद का 3 वर्ष का अनुभव एवं संबंधित विषय में अधिस्नातक **अथवा** वर्तमान में व्याख्याता के पद पर कार्यरत	40 वर्ष
		स्नातक, अधिस्नातक	55 प्रतिशत		
		बी.एड.	55 प्रतिशत		
3.	वरि. अध्यापक	माध्यमिक, उच्च माध्यमिक	60 प्रतिशत	वर्तमान में कार्यरत संबंधित विषय का वरिष्ठ अध्यापक अथवा अध्यापक लेवल–2 एवं एक वर्ष का अनुभव	35 वर्ष
		स्नातक	55 प्रतिशत		
		बी.एड.	55 प्रतिशत		
4	कम्प्यूटर लेब इन्चार्ज	माध्यमिक	60 प्रतिशत	वर्तमान में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक एवं कम्प्यूटर का ज्ञान तथा कम्प्यूटर में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम तीन माह के कोर्स को प्राथमिकता	35 वर्ष
		उच्च माध्यमिक	60 प्रतिशत		
		स्नातक, बी. एड.	55 प्रतिशत		

5	शारीरिक शिक्षक	माध्यमिक	60 प्रतिशत	वर्तमान में कार्यरत शारीरिक शिक्षक ग्रेड–II / III	35 वर्ष
		उच्च माध्यमिक	60 प्रतिशत		
		स्नातक	55 प्रतिशत		
		डीपीएड / सीपीएड	55 प्रतिशत		
6	अध्यापक लेवन–2	माध्यमिक, उच्च माध्यमिक	60 प्रतिशत	वर्तमान में कार्यरत अध्यापक लेवल–2 अथवा अध्यापक लेवल–1 एवं एक वर्ष का अनुभव	35 वर्ष
		स्नातक, बी.एड.	55 प्रतिशत		
7	अध्यापक लेवन–1	माध्यमिक, उच्च माध्यमिक	60 प्रतिशत	वर्तमान में कार्यरत अध्यापक लेवल–1	35 वर्ष
		स्नातक	55 प्रतिशत		
		बी.एस.टी.सी.	55 प्रतिशत		

अनुसूची–2

(नियम 13 देखिए)

वेतन की शर्तें, पदोन्नति और सेवा की अन्य शर्तें

1. **वेतनमान.–** अनुसूची–1 में उल्लिखित पद के लिए नियुक्त अधिकारी/पदधारी वही वेतन और वही ग्रेड वेतन आहरित करेंगे जो वह नियुक्ति (संस्थाई या स्थानापन्न हैसियत में) से ठीक पूर्व विद्यमान पद के लिए विहित चालू वेतन बैन्ड और ग्रेड वेतन आहरित कर रहा था/रही थी। वेतन वृद्धि की आगामी तारीख अपरिवर्तित रहेगी।

2. **विशेष भत्ता.–(अ)**अनुसूची–1 में उल्लिखित पदों पर नियुक्त समस्त व्यक्तियों को आरएससीई में उनकी सेवावधि के दौरान उनके वार्षिक कार्य–मूल्यांकन के आधार पर मूल वेतन+ग्रेड पे का 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि (लगभग तीन वेतन वृद्धि के बराबर) के रूप में निम्नानुसार देय होगी:–

   (i) प्रथम वर्ष में प्रोत्साहन राशि साक्षात्कार में चयन के आधार पर दी जायेगी।

   (ii) प्रथम वर्ष के पश्चात् प्रत्येक वर्ष प्रधानाचार्यों एवं अन्य शैक्षणिक कार्मिकों के वार्षिक कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करवाया जायेगा। मूल्यांकन हेतु मापदण्ड भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित किये जायेगें। स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर मापदण्ड पूर्ण करने पर ही प्रोत्साहन राशि आगे जारी रखी जा सकेगी। मापदण्ड पूर्ण नहीं होने पर प्रोत्साहन राशि बन्द कर दी जावेगी।

   (iii) यदि किसी प्रधानाचार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्मिकों द्वारा लगातार दो वर्ष तक कार्य निष्पादन के मापदण्ड पूर्ण नहीं किये जाते हैं तो उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय हेतु कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।

   (ब)अनुसूची 1 में नियुक्त अधिकारी/पद धारक उन समस्त कार्मिकों को जो डे–बोर्डिंग (आवासीय) विद्यालयों में कार्यरत हैं, को मूलवेतन + ग्रेड पे का 5 प्रतिशत अनुग्रह राशि उपरोक्त उपनियम (अ) में वर्णित प्रोत्साहन राशि से अतिरिक्त देय होगी।

   परन्तु यह कि उपरोक्त उपनियम (अ) तथा (ब) में अभिकथित प्रोत्साहन राशि का पुनर्निर्धारण, परिषद् द्वारा राज्य सरकार की पूर्व सहमति से वेतनमान के पुनर्निर्धारण के समय किया जा सकेगा।

3. **पेंशन, भविष्य निधि इत्यादि.–**

(i) यदि संबंधित व्यक्ति इन नियमों के उपबन्धों के अधीन पद धारित करते हुए सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसकी पेंशन, उपादान संगणित करने के प्रयोजन के लिए उसकी परिलब्धियाँ उस दर से ली जायेंगी जिनका वह हकदार होता, यदि उसे इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाता।

(ii) यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार के सिविल सेवा (अंशदायी पेन्शन) नियम का सदस्य हो तो वह उस वेतन के आधार पर स्कीम में अभिदाय जारी रखेगा जो वह आहरित करता यदि वह इन नियमों के अधीन किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाता। राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेन्शन) स्कीम में राज्य सरकार के सरकारी अंशदान का कोई अभिदान इन नियमों के अधीन आहरित वेतन के आधार पर नहीं किया जायेगा।

(iii) वह ऐसे अन्य अंशदानों को, जो वह चयन के पूर्व समय–समय पर यथाविहित दरों पर अभिदान कर रहा था/रही थी, अभिदाय करना जारी रखेगा/रखेगी।

Government of Rajasthan

Education (Group-1) Department

F. No. 4(15) Education-1/2015-16 Jaipur, Dated 14-06-2016

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred under Rule 47 of Rules and Regulations of the Rajasthan Council of Secondary Education (RCSE), 2009, the Executive Committee of the Council is hereby makes the following rules laying down the procedure for Special Selection and Special Conditions of Service for appointment of Principals, and Teaching personnel in Swami Vivekanand Government Model Schools (SVGMS) run by the Council, namely:--

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Council of Secondary Education Special Selection and Conditions of Service (appointment of Principals and Teaching personnel) in Swami Vivekanand Government Model Schools Rules, 2016.
   (2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-
   (a) "Appointing Authority" means the State Mission Director of the Council or such other officer to whom the power may be delegated by the Council with or without any condition;
   (b) "Central Government" means the Government of India;
   (c) "Committee" means the Committee referred to in Rule 9;
   (d) "Council" means The Rajasthan Council of Secondary Education;
   (e) "Government" means the Government of Rajasthan;
   (f) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;
   (g) "State Mission Director" means the Commissioner of the Rajasthan Council of Secondary Education;
   (h) "Teaching personnel" means the persons appointed on the posts specified in Schedule-I;
   (i) "Year" means the financial year.

3. **Interpretation.-** Unless the context otherwise requires, the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Rajasthan Act VIII of 1955) shall apply for the interpretation of these Rules, as it applies for the interpretation of a Rajasthan Act.

4. **Composition, Nature and Strength of Posts.-** (1) There shall be two categories of posts as specified in Schedule-I to be held on tenure basis,
   (2) The strength of the posts of each category shall be such as may be determined by the Council, from time to time:
   Provided that the Council may leave unfilled or hold in abeyance or abolish any post, without thereby entitling any person to any compensation.

5. **Determination of Vacancies.-** The Appointing Authority shall determine, as soon as possible, before 1st April of every year, the number of vacancies anticipated to be filled in each category districtwise during the next twelve months or as and when such contingency arises.

6. **Tenure.-** (1) The posts enumerated in Schedule-I shall be held by an officer for a tenure ordinarily not exceeding four years which may be extended by the Appointing Authority for further term not exceeding one year at a time but the total tenure shall not exceed five years in any case.

(2) All appointment to the posts, as specified in Schedule-I shall, in the first instance, be on temporary transfer from the parent Department/Service for a period of two years which may be extended for a period indicated by the Appointing Authority from time to time subject to the condition that such extension shall not be beyond one year before the date of his/her retirement according to the condition of service of his/her parent department service. The officer so appointed shall not be reverted to the parent cadre or permitted to go to any other post before completion of a tenure of two years. However, the Director of the Council reserves the right to revert back any officer so appointed under these rules before completion of such tenure period without assigning any reasons with the concurrence of the parent department.

Persons working on deputation having a period not exceeding one year of retirement shall be reverted back to his/her parent department.

(3) In case of reversion/transfer to parent department, the person so appointed shall not have any right to protection of Grade Pay or status held by him/her on the post in the Rajasthan Council of Secondary Education unless otherwise provided in these rules:

Provided that a person may on his/her will, resign or seek retirement according to the conditions of service of his/her parent Department Service which shall not confer upon him/her any right other than those ordinarily admissible under the Rajasthan Service Rules, 1951:

Provided further that as soon as the person is promoted in the parent cadre on post carrying higher pay scale, he/she shall be reverted back to the parent department.

7. **Source of Selection.-** Selection for appointment to the posts as specified in column 2 of Schedule-I after commencement of these rules shall be made on the recommendation of the Committee from amongst the persons mentioned in column 3 to 5 of Schedule-I who hold lien on the post or who have been appointed on regular basis on the post under the parent department of the State Government.

8. **Eligibility for Selection.-** Only such persons shall be eligible for consideration for the various posts, who fulfill the conditions laid down in Schedule-I, on 1st of January of the year in which they are eligible for consideration.

9. **Selection Committee.-** Selection to the posts enumerated in Schedule-I shall be made on the recommendation of the Committee consisting of the following, namely:-

(i)	Principal Secretary/ Incharge Secretary of Secondary Education Department	Chairman
(ii)	State Mission Director, Council	Member
(iii)	Eminent Educationist nominated by the State Government	Member
(iv)	Subject Specialist nominated by the State Government	Member
(v)	Director/Representative Secondary Education, Rajasthan	Member
(vi)	Representative of SIERT, Udaipur	Member
(vii)	Additional Commissioner, RCSE, Jaipur	Member-Secretary

10 **Criteria for Selection.-** Selection shall be made by the Committee after an interview having regard to personality, character, previous record of service and past experience in respective service and any other criteria of selection which Committee deem necessary.

11 **Procedure for Selection.-** (1) As soon as it is decided that selection is to be made to fill a certain number of posts specified in column 2 of Schedule-I from amongst the persons mentioned in column 5 of Schedule-I, the State Mission Director, Rajasthan Council of Secondary Education, or such other officer to whom he may direct for this purpose, shall advertise for inviting application from all the eligible persons by a specified date and also advertise such vacancies, as he deem fit.

(2) Application -

(a)(i) The eligible persons shall apply through their Head of Office ;

(ii) Determination of vacancies be done district-wise and applicants shall apply for maximum two districts; and

(iii) applicants may give option for posting for all vacant posts in the district in order of preference.

(b) At the time of commencement of these rules, all such persons, working on the posts shall be deemed to have applied and selected for such posts as specified in column 2 of Schedule-I and shall continue to work for a period of two years on the post from their first appointment on the post held, after completion of two years, Persons not found suitable may be reverted back to their parent departments.

(3) After scrutiny of applications so received, a report on Departmental enquiry/prosecution, other service record or any such information for the persons applied for, as may deem fit, be obtained from the concerned Department.

(4) On receipt of reports desired under sub-rule (3) above, the State Mission Director or the officer nominated by him, shall prepare a list district-wise of all the eligible candidates.

(5) The Committee shall call all candidates included in list prepared under sub-rule (4) for interview. The selection be made according to merit list prepared on the basis of marks obtained by candidates in the interview. Select candidates equal to the number of vacancies likely to be filled in, in order of their merit and shall prepare a list containing names of the persons found suitable:

Provided that the Committee may, if suitable persons are available, keep on reserve list more candidates whose number shall not exceed hundred percent of the vacancies determined. The names of such candidates may be considered for appointment if such vacancies actually occur within six months from the date of selection.

(6) List prepared by the Committee under sub-rule (5) above shall be sent to the Appointing Authority together with service records, if any, of all the candidates included in the list as also of those not selected, if any.

12 **Appointment.-** Appointment to the post as specified in column 2 of Schedule-I shall be made from amongst the persons included in the list prepared under sub-rule (5) of rule 12 by the Appointing Authority in the order of merit and posting be made on the basis of place in the merit list and given option.

13 **Pay and other Conditions.-** (1) The scale of pay and initial pay admissible to the post as specified in column 2 of Schedule-I and other conditions relating to increase in pay on promotion in the parent cadre and retirement benefits shall be as laid down in Schedule-II and shall be such as may be sanctioned by the Council with the concurrence of the Government, from time to time.
(2) Except as provided in these rules, other service conditions to the post as specified in column 2 of Schedule-I shall be regulated by other rules applicable to the employees of the State Government made by the appropriate authority under the proviso to Article 309 of the Constitution of India and for the time being in force.

14 **Induction of exceptionally deserving persons.-** Notwithstanding anything contained in these rules, the Committee may propose induction of any regularly selected members of Central/State Government for appointment in the RCSE in exceptionally deserving cases for reasons to be recorded in writing.

15 **Removal of doubts.-** If any doubt arises relating to the application, interpretation and scope of these rules, it shall be referred to the Executive Committee of the Council whose decision thereon shall be final.

16 **Repeal and Saving.-** All rules and orders in relation to matters covered by these rules and in force immediately before commencement of these rules are hereby repealed:
Provided that any action taken under the rules and orders so superseded shall be deemed to have been taken under the provisions of these rules.

This notification is circulated by approval of Department of Finance I.D. no. 101601989 dated 16-05-2016.

By order,

नाहर सिंह 14/06/2016

(Nahar Singh)
Deputy Secretary, First

SCHEDULE – I

(Eligibility for recruitment on the posts in Swami Vivekanand Govt. School under the Council)

Category-1

S.No.	Name of Post	Educational Qualification		Eligibility & Experience	Maximum Age
		Class	Minimum Marks received		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Principal	Secondary/Senior Secondary	60%	3 years experience on the post of Principal/ Lecturer Or At present working on the post of Principal	45 years
		Graduate/Post Graduate	55%		
		B.Ed.	55%		
2.	Lecturer {PGT}	Secondary/Senior Secondary	60%	3 years experience on the post of Second Grade Teacher and Post Graduate in concerned subject Or At present working on the post of Lecturer	40 years
		Graduate/Post Graduate	55%		
		B.Ed.	55%		
3.	Senior Teacher {TGT}	Secondary/Senior Secondary	60%	At present working as Senior Teacher in concern subject or Teacher Level-2 with one year's experience.	35 years
		Graduate	55%		
		B.Ed.	55%		

Category-2

S.No.	Name of Post	Educational Qualification		Eligibility & Experience	Maximum Age
		Class	Minimum Marks received		
4.	Computer Lab Incharge	Secondary	60%	At present working as Senior Teacher and knowledge of Computer and preference for those who have three month's course in Computer from a recognized Institute.	35 years
		Senior Secondary	60%		
		Graduate, B.Ed.	55%		
5.	P.T.I.	Secondary	60%	At present working as P.T.I. Grade-II/III	35 years
		Senior Secondary	60%		
		Graduate	55%		
		B.P.Ed./C.P.Ed.	55%		
6.	Teacher Level-2	Secondary/Senior Secondary	60%	At present working as Teacher Level-2 or Teacher Level-1 with one year's experience.	35 years
		Graduate B.Ed.	55%		
7.	Teacher Level-1	Secondary/Senior Secondary	60%	At present working as Teacher Level-1.	35 years
		Graduate/Post Graduate	55%		
		B.S.T.C.	55%		

SCHEDULE – II

(See Rule 13)

Conditions of Pay, Promotion and other conditions of Service

1. **Scale of Pay**.- On appointment to the post mentioned in Schedule-I the officers/officials shall draw the same pay and the same grade pay, which he/she was drawing immediately before appointment (in the substantive or officiating capacity) in the Running Pay Band with Grade Pay prescribed for the existing post. The next date of increment shall remain unchanged.
2. **Special Allowance**.-
   (a) All officers/officials appointed on the posts mentioned in Schedule-I, shall be admissible an incentive amount during the period of service in RCSE at the rate of 10% of basic pay + Grade Pay (equivalent to approximately three increments) on the basis of their Annual Performance Appraisal as follows:-
      (i) In the first year, the incentive amount be paid on the basis of selection in the interview;
      (ii) After first year, for every year appraisal of annual performance of Principals/ Teaching personnel be got done. Norms of appraisal also be prescribed by the Rajasthan Council of Secondary Education. Incentive amount be continued further only on fulfilling the norm on the basis of appraisal done by an independent agency. On non-fulfilling the norms, the incentive amount be stopped.
      (iii) If the norms not fulfilled by any Principal/Teaching personnel continuously for two years, they shall be relieved for the office of the Director, Secondary Education by ending their deputation.
   (b) 5 % of Basic Pay + Grade Pay Honorarium be paid in addition to incentive amount specified in sub-rule (a) be admissible to all those personnel who are working in Day-Boarding (Residential) Schools and appointed/post-holder in Schedule-I.

   Provided that the incentive amount as specified in sub-rule (a) and (b) above, may be revised by the Council with the prior concurrence of the Government, at the time of pay revision by the State Government.
3. **Pension, Provident Fund etc.-**
   I. If the person concerned retires while holding the posts under the provisions of these rules, his emoluments for the purpose of calculating pension, gratuity shall be taken at the rates, what he would have been entitled to, had he not been appointed under these rules.
   II. If a person is member of State Govt. Civil Services (Contributory Pension) Rules, he shall continue to subscribe to the Scheme on the basis of pay which he should have drawn had he not been appointed on any post under these rules. No subscription of Government contribution to the State Govt. Civil Services (Contributory Pension) Scheme shall be made on the basis of pay drawn under these rules.
   III. He/She shall continue to subscribe to other contributions which he/she was subscribing before the selection at the rates as prescribed, from time to time.